<u>एसओपी सं.8</u>

फा.सं.3/42/2013-एसडी/एएम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
सूत्रधार प्रभाग

जनपथ, नई दिल्ली, दिनांक : 27 जून, 2014

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की अतिरिक्त निधियों की निवेश संबंधी समिति का गठन

न्यास घोषणा विलेख के अनुच्छेद 14 के अनुसार "सभी धनराशि न्यास की निधि का भाग है और इसका न्यासियों के अनुमोदन से निवेश किया जा सकता है या एक या एक से अधिक रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम में पुन: निवेश किया जा सकता है और निवेश का प्रकार और धनराशि के निक्षेप का उल्लेख आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 की उप-धारा (5) में या तत्समय लागू उसके पुन: अधिनियमन संबंधी किसी सांविधिक आशोधन और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट हो:

1. कार्यपालक समिति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 05 जून, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की अतिरिक्त निधियों के निवेश के संबंध में निम्नलिखित नीति अनुमोदित की:

    (क) <u>अल्पकालिक निवेश</u> : तीन वर्ष की अवधि तक के निवेशों को आय कर अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अल्पकालिक निवेश के रूप में जाना जाएगा। ये निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ऐक्सिस बैंक आदि जैसे प्रमुख अनुसूचित प्राइवेट वाणिज्यिक बैंकों में किए जा सकते हैं। निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

    (i) सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र - अध्यक्ष

    (ii) संयुक्त सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र - सदस्य

    (iii) वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, इंदिरा गांधी

राष्ट्रीय कला केंद्र - सदस्य

(ख) <u>दीर्घकालिक निवेश</u> : तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किए गए निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में जाना जाता है। ये निवेश अल्पकालिक निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट बैंकों में किए जाएंगे और सरकारी क्षेत्रक उद्यमों तथा भारत सरकार द्वारा जारी की गई अन्य बचत योजनाओं/ बांडों में जमा किए जाएंगे। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) अध्यक्ष, कार्यपालक समिति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र - अध्यक्ष

(ii) सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र - सदस्य

(iii) एकीकृत वित्त प्रभाग, संस्कृति मंत्रालय के उप सचिव और उससे ऊंचे ओहदे का अधिकारी - सदस्य

(ग) <u>भविष्य निधि संचय का निवेश</u> : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि संचय को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक या भविष्य निधि संबंधी वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश समिति का संघटन वही होगा, जैसा ऊपर बताया गया है।

2. <u>सामान्य शर्तें</u> : सभी प्रकार के निवेशों पर निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी:

(i) ब्याज दरों के संबंध में कम से कम 07 बैंकों से दरें आमंत्रित की जाएंगी।

(ii) इन निवेशों की अल्पकालिक निवेश समिति द्वारा प्रति वर्ष समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्जित वार्षिक ब्याज बाज़ार की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

<u>कार्यपालक निदेशक, दक्षिण क्षेत्र केंद्र, बेंगलुरु</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सदस्य सचिव के निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
3. सभी विभागाध्यक्ष
4. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी
5. उप वित्तीय सलाहकार और वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा शाखा
6. गार्ड फाइल